

१६ ४/२२

पीठासीन अधिकारी अवकाश/राजकार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 15-6-22 को पेश हो

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां

15/6/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
पत्रावली वास्तव रिपोर्ट। जवाब सरकार
दिनांक 10/8/22 को पेश हो।

10 8/22

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. पत्रावली
वास्तव रिपोर्ट सरकार में दिनांक 3-11-22
को पेश हो।

3 11/22

पीठासीन अधिकारी अवकाश/राजकार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्ववत दिनांक.....को पेश हो

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां

२१ ११/२२

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप.
पत्रावली वास्तव रिपोर्ट सरकार में दिनांक
30-1-2023 को पेश हो।

30 1/23

पत्रावली पेश हुई रुक रुक कर तीन बार
आवाज दिलाई गई। न तो वकील वादी उप.
न ही वादीगण चेसी स्थिति में न्यायालय
उक्त वाद को आगे लेकर रखना उचित
नहीं समझता है। अतः न्यायालय द्वारा उक्त
वाद को अदम दायरी अदम पैरवी में
खासियत किया जाता है। पत्रावली फेरल
शुमार लेकर नम्बर ले कम की जाये।
निर्णय आज दिनांक 30-1-2023 को करे
इजलास (चुनाप) गया।